पत्रांक :–17 / म2–26 / 2015........20........ /

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण)

प्रेषक,

के रवि कुमार, भा.प्र.से.

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड,

सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड।

रांची, दिनांक ...11... / ...01... / 2023

विषय :– प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत सप्ताहिक मेनू में आंशिक संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 30 दिनांक 25.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अन्तर्गत पूर्व के सप्ताहिक मेनू में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

कम	**दिन**	**मध्याह्न भोजन समयावधि**		**पी० एम० पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) मेनू**
		1 अप्रैल से 30 जून	**1 जुलाई से 31 मार्च**	
1	सोमवार	9.30 पूर्वा० से 10.00 बजे पूर्वा०	1.00 अप० से 1.30 बजे अप०	चावल, दाल, हरी सब्जी एवं अंडा कढ़ी / शाकाहारी हेतु मौसमी फल।
2	मंगलवार	9.30 पूर्वा० से 10.00 बजे पूर्वा०	1.00 अप० से 1.30 बजे अप०	चावल, छोला या चना की सब्जी एवं सलाद।
3	बुधवार	9.30 पूर्वा० से 10.00 बजे पूर्वा०	1.00 अप० से 1.30 बजे अप०	हरी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी युक्त भेज पुलाव तथा दाल।
4	गुरूवार	9.30 पूर्वा० से 10.00 बजे पूर्वा०	1.00 अप० से 1.30 बजे अप०	चावल, दाल, चोखा एवं हरी सब्जी युक्त भुजिया।
5	शुक्रवार	9.30 पूर्वा० से 10.00 बजे पूर्वा०	1.00 अप० से 1.30 बजे अप०	चावल,दाल,हरी सब्जी एवं एक उबला अंडा / शाकाहारी हेतु मौसमी फल।
6	शनिवार	9.30 पूर्वा० से 10.00 बजे पूर्वा०	1.00 अप० से 1.30 बजे अप०	खिचड़ी (हरी सब्जी, पालक युक्त) तथा चोखा, आचार एवं पापड़।

2. निदेश दिया जाता है कि संकल्प संख्या–385 दिनांक 02.03.2015 के कंडिका 8 (i) का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए पूरक पोषाहार के रूप में बच्चों को अण्डा ही दिया जायेगा। जो बच्चे अण्डा का सेवन अपने आहार में नहीं करते है, उन्ही बच्चों को समतुल्य राशि के अनुरूप मौसमी फल दिया जाएगा।

3. निदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प संख्या के कंडिका–5 के अनुसार सोमवार या शुक्रवार को अवकाश रहने की स्थिति में अगले विद्यालय दिवस को अण्डा/फल दिया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक– यथोक्त।

ह० 11/1/2023

(के. रवि कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 17/म2–26/2015 20 / **दिनांक :–** 11/01/2023

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 11/1/2023

(के. रवि कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 17/म2–26/2015 20 / **दिनांक :–** 11/01/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती दीपा आनन्द, उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 11/1/2023

(के. रवि कुमार)
सरकार के सचिव